न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 238 सन् 2012
पंजीयन दिनांक 18.07.2012

गोविन्दसिंह पिता रामचन्द जाति भाटी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. बद्री पिता मगनीराम जाति कुम्हार निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. तुलछी पिता मगनीराम जाति कुम्हार निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. भगवन्ती पिता मगनीराम जाति कुम्हार निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. सायरी पिता मगनीराम जाति कुम्हार निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. कंकुबाई पत्नि बद्रीलाल जाति कुम्हार निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 25/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2012

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. कृष्णगोपाल दशोरा–रेस्पोडेन्ट 1 से 4 व 6
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5

निर्णय **दिनांक 14.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी की ओर से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट वादी को मौजा घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़ के साबिक आराजी नम्बर 964/2क रकबा 5 बीघा कृषि भूमि आंवटन मिसल क्रमांक 340/1976 दिनांक 22.06.1976 को आंवटित की जाकर अपीलान्ट वादी के नाम दर्ज की गई। तभी से उक्त आंवटनशुदा आराजीयात अपीलान्ट वादी के आंवटित रकबा 5 बीघा भूमि पर अपीलान्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 964/2क के आराजी नम्बर 1954 रकबा 0.78 हैक्टेयर रकबा ही कायम कर 0.30 हैक्टेयर रकबा भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने कम दर्ज करते हुए उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के रकबे मे सम्मिलित कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का रकबा बिलानाम आराजी नम्बर 2951,2952,2964,2969 मे सम्मिलित कर दिया। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने अपीलान्ट वादी का रकबा कम करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही था। अपीलान्ट वादी वर्तमान मे साबित रकबा 5 बीघा के नवीन नाप से 1.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

08 हैक्टेयर रकबे पर आंवटन दिनांक 22.06.1976 से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 5 अपीलान्ट का नाजायज कब्जा बताकर नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर रहा है। जबकि अपीलान्ट वादी का कब्जा आंवटन से यथावत जिससे अपीलान्ट वादी 0.30 हैक्टेयर भूमि की रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की आराजी नम्बर 2954 मे से घोषणा कराने व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के रकबे मे आई कमी को बिलानाम आराजी नम्बर 2951, 2952,2964 व 2969 मे से पूर्ति कराने का अधिकारी होने से वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से वादपत्र का कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ। रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से दिनांक 19.12.2011 को जवाब हेतु अवसर दिया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से भी कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से जवाबदावा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण बन्द किया गया। वादपत्र मे जवाबदावा नही होने बिना तनकियात कायम किये अपीलान्ट वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर अपीलान्ट वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से अपने वाद को पूर्णतया साबित कराया है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यो को नजर अंदाज करते हुए विवादित आराजीयात मे कंकुबाई आवश्यक पक्षकार होना मानते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील म्याद बाहर प्रस्तुत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र कानून म्याद अधिनियम मय शपथ स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 964/2क रकबा 5 बीघा भूमि अपीलान्ट वादी को जरिये मिसल क्रमांक 3040/1976 दिनांक 22.06.1976 को आंवटित की जाकर वादी के नाम दर्ज की। साबिक आंवटित आराजी नम्बर 964/2 क रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 2954 रकबा 0.78 हैक्टेयर दर्ज की गई। अपीलान्ट वादी के साबिक के मुकाबले मे 30 हैक्टेयर रकबा कम किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के नवीन आराजी नम्बर 2955 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि मे सम्मिलित कर दिया। आराजी नम्बर 2955 के पास मे लगी हुई बिलानाम आराजी 2951, 2952,2964,2969 बिलानाम सरकार ने साबिक के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिया। अपीलान्ट वादी ने वादपत्र की ताईद मे दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली मे अपीलान्ट वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रमाणित नही होना व आवश्यक पक्षकार के अभाव मे निरस्त किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

यदि न्यायालय क्रेता को आवश्यक पक्षकार मानती थी तो न्यायालय उसे स्वंय पक्षकार कायम कर सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित कर सकती थी। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तकनीकी बिन्दुओ के आधार अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व 6 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने गलत तथ्यो के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट वादी ने विवादित कृषि आराजीयात जो उनके खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 6 को विक्रय कर दी थी। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 6 विचारण न्यायालय मे आवश्यक पक्षकार रही है। जिसको पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर वादपत्र चलने योग्य नही था। नकल जमाबन्दी प्रदर्श-2 मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के नाम पर दर्ज आराजीयात नारायणीबाई पत्नि मगनीराम कुम्हार के नाम दिनांक 28.06.2007 को हो चुकी थी। फिर भी अपीलान्ट वादी ने दिनांक 11.02.2010 को वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे आवश्यक पक्षकार को मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र प्रस्तुत किया गया। दोराने वाद उक्त कृषि आराजीयात दिनांक 20.11.2012 से रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम दर्ज हो चुकी थी। जिसको पक्षकार नही बनाने से व रेस्पोडेन्ट सं. 6 आवश्यक पक्षकार होने से अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पक्षकार के अभाव व शहादत सबूत के अभाव मे अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्ती योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 राजकीय अभिभाषक ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त करने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण की तामील होकर जवाब हेतु अवसर चाहे गये। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से जवाबदावा रेस्पोडेन्ट्गण बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। जिसमे अपीलान्ट वादी का शपथ पत्र साक्ष्य मे प्रस्तुत किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण दिनांक 12.03.2012 को अनुपस्थित रहने से एक तरफा बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत हुई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र शहादत सबुत व आवश्यक पक्षकार के अभाव मे वादपत्र को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् अपीलान्ट वादी ने क्रेता कंकुबाई को आदेश 22 नियम 10 को जाप्ता दिवानी का आदेश पारित कर पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 26.02.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निस्तारण किया जाकर क्रेता कंकुबाई पत्नि बद्रीलाल कुम्हार जिसका वर्तमान जमाबन्दी मे आराजी नम्बर 2955 की खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के आधार पर क्रेता कंकुबाई को अपील स्तर पर पक्षकार मुकदमा कायम किया है। क्रेता कंकुबाई को वादपत्र के विचारण मे सुनवाई का अवसर प्रदान कराया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 25/2010 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2012 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील मे रेस्पोडेन्ट सं. 6 कंकुबाई पत्नि बद्रीलाल कुम्हार जो अपील मे पक्षकार मुकदमा कायम की गई है, को प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा कायम कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)